

भाग-III
(नैनीताल, भवाली, खैरना एवं सुयालबाड़ी 46.2 कि०मी० ऑप्टिकल फाईबर लाईन)
(प्रस्ताव संख्या FP/UK/OFC/140824/2021)
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1. क्या वन स्थल जहाँ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है, के सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिपोर्ट में किये गये हैं, को संलग्न करें।	नहीं प्रस्ताव के अनुरूप उक्त प्रस्तावित ऑप्टिकल केबल लाईन मार्ग के किनारे पोलों द्वारा ऑप्टिकल फाईबर लगाई जानी है। जिस हेतु आरक्षित वन भूमि 0.176 है० तथा सिविल एवं सोयम भूमि 0.286 है०, यानि कुल वन भूमि 0.462 है० प्रभावित होती है। उक्त ऑप्टिकल फाईबर बिछाने में कोई वृक्ष प्रभावित नहीं होते हैं। अतः पृथक से निरीक्षण न कर प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग द्वारा दिनांक 05-05-2021 को किये गये निरीक्षण के आधार पर सहमति व्यक्त की जाती है।
2. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं	हाँ सहमत
3. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये सम्बन्धित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें	इस शर्त के साथ सहमति व्यक्त की जाती है कि याचक कर्ता द्वारा यदि किसी भी प्रकार की वृक्षों आदि को क्षति पहुंचायी जाती है, तो सम्बन्धित क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वह स्वयं वहन करेगा/करेगी। अतः जनहित में स्वीकृति कर अग्रेत्तर प्रेषित।

दिनांक -03-06-2021

स्थान- नैनीताल।


(कुबेर सिंह बिष्ट)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमायूँ वन संरक्षक, उत्तरीखण्ड, नैनीताल।
दक्षिणी कुमायूँ वन, उत्तरीखण्ड
नैनीताल.